

छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रज़िर्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (एनटीसीए) ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पगिला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रज़िर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित यह नया टाइगर रज़िर्व उदंती-सीतानदी, अचानकमार और इंद्रावती टाइगर रज़िर्व के बाद छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रज़िर्व होगा।
- इस प्रस्ताव पर एनटीसीए की 11वीं तकनीकी समिति ने 1 सितंबर को वचिार किया और एक महीने बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38(1) के तहत मंजूरी दी गई।
- तमोर पगिला वन्यजीव अभयारण्य की पहचान 2011 में सरगुजा जशपुर हाथी रज़िर्व के हसिसे के रूप में की गई थी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अवभाजति मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान का हसिसा था। दोनों 2011 से टाइगर रज़िर्व के रूप में अधसूचित होने के लयि कतार में थे।
- नए टाइगर रज़िर्व की घटक इकाइयों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पगिला वन्यजीव अभयारण्य क्रमशः 1,44,000 हेक्टेयर (1,440 वर्ग कमी.) और 60,850 हेक्टेयर (608.5 वर्ग कमी.) में फैली हुई हैं।
- गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरथिा ज़लि में है, जबकि तमोर पगिला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के उत्तर-पश्चिमी कोने में सूरजपुर ज़लि में है।
- गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीतों का अंतमि ज़ात नवास स्थान था। मूल रूप से संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान का हसिसा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 2001 में राज्य के गठन के बाद छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में एक अलग इकाई के रूप में बनाया गया था।
- राज्य में वन्यजीव वशिषज्ओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रज़िर्व में बदलना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है और बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रज़िर्व के बीच बाघों के आने-जाने के लयि एक गलयारा प्रदान करता है।